आवश्यक / COVID-19

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक :— प.25(5)आयु./2020 पार्ट

जयपुर, दिनांक :— 20.03.2020

आदेश

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट, 1957 की धारा 2 में विहित प्रावधानों के अनुसार राजस्थान राज्य के विभिन्न संस्थान/केन्द्र आदि दिनांक 31 मार्च, 2020 तक बन्द रखे जाने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने दिनांक 19.03.2020 को आदेश जारी किये गये है। उपर्युक्त के साथ ही राज्य में भीड एकत्रित होने से रोकने के लिए धारा—144 भी लागू ही गई है एवं जनहित में इसके निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करने हेतु आदेश जारी किये गये है।

विभिन्न समाचार पत्रों एवं ई—मीडिया द्वारा यह देखा जा रहा है कि विभागान्तर्गत संचालित आयुर्वेद चिकित्सालय/ औषधालयों में प्रतिरोधात्मक/ रोग —निरोधक क्वाथ का वितरण किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की काफी भीड़ एकत्रित हो जाती है, इस कारण संक्रमण की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता।

अतः उपर्युक्त परिस्थिति को मध्यनजर रखते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है—

1. औषधियों/क्वाथ आदि का वितरण विभागान्तर्गत संचालित आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सालय / औषाधालयों की परिसीमा में ही किया जावे एवं यथासंभव, अधिक व्यक्तियों को एकत्रित नहीं होने दिया जाये।
2. विभागीय आदेशानुसार चिकित्सालय/ औषाधालयों के समयानुसार विभिन्न पारियों में/ समयानुकम निर्धारित किया जाकर शासन द्वारा प्रदत्त सलाहकीय निर्देशों के अनुरूप काढ़ा वितरित किया जावे।
3. वर्तमान में उत्पन्न स्थिति के अनुकम में शासन द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों के कम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय प्रशासन एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों से समन्वय रखा जावे।

आज्ञा से,

(आर.पी.चतुर्वेदी)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर

आयुष भवन सेक्टर 26 प्रताप नगर जयपुर 302033 फोन नं.2796625मेल— DIRECTORUNANI@RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांकः सामा./को./2020/907-908 दिनांकः 20-03-2020

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1.उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर।

2.समस्त प्रभारी/चिकित्साधिकारी, राज. यूनानी चिकि./औष./केन्द्र समस्त राजस्थान को उपरोक्तानुसार कार्य संपादन हेतु आदेशित किया जाता है। तथा आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक **D.O.No.S.16030/18/2019-NA, Dated 06.03.2020** (प्रति विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध) द्वारा जारी परामर्श को चिकित्सा कार्य में समाविष्ट करें।

3.रक्षित पत्रावली।

निदेशक

Scanned with CamScanner